

# THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

No. 742

13 Aashwin, 1938 (S)

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ranchi, Thursday, 5th October, 2017

#### COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 4th October, 2017

**S.O. No. 85- Dated-** 5<sup>th</sup> **October**, **2017** -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9, sub-section (1) of section 11,sub-section (5) of section 15 and sub-section (1) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Jharkhand S.O. 41, dated the 29<sup>th</sup>June, 2017, published in the Jharkhand Gazette namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(vi)Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of —  (a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;  (b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or(iii) an art or cultural establishment; or  (c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Central Goods and Services Tax Act, 2017.	6	_
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-".

2. This notification shall be deemed to be effective from 21<sup>st</sup> September, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

# **K. K. Khandelwal,** Principal Secretary-cum Commissioner .

Note:-The principal notification was published in the Jharkhand Gazette *vide* S.O. 41 dated 29<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended by S.O. 70 dated the 26<sup>th</sup> August, 2017.

### वाणिज्य-कर विभाग

\_\_\_\_\_

## अधिसूचना 4 अक्टूबर, 2017

एस॰ ओ॰ 85 - दिनांक 5 अक्टूबर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), एवं धारा 16 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; झारखण्ड सरकार की अधिसूचना एस॰ओ॰ 41 दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुआ है, में निम्न संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचनामें, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों, जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
" (vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित		
क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी		
प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना,		
स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण		
करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की		
गई हो,-		
(क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल		
कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य,		
उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से		
भिन्न हो;		
(ख) एक संरचनाजिसका मुख्यतया उपयोग		

(i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii)		
कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिए	6	_
हो; अथवा		
(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग		
स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके		
कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य		
व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो केन्द्रीय माल		
एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी		
अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं।		
(vii) उपर्युक्त (i),(ii),(iii),(iv),(v) एवं (vi) से		
भिन्न विनिर्माण सेवाएं		
	9	_"

2. यह अधिसूचना 21 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त

(टिप्पणी : मूल अधिसूचना, झारखंड के राजपत्र, अधिसूचना एस०ओ० 41, दिनांक 29 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी एवं पिछली बार उस में संशोधन अधिसूचना एस०ओ० 70 दिनांक 26 अगस्त, 2017 के अनुसार हुआ था ।

\_\_\_\_\_